

फा. सं. CBIC-20001/3/2025-GST
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी नीति विंग

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर, 2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / (सभी)

प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक (सभी)

महोदया / महोदय,

विषय: दिनांक 26 जून, 2024 के परिपत्र संख्या 212/6/2024-GST का वापसी – संबंध में।

दिनांक 26 जून, 2024 के परिपत्र संख्या 212/6/2024-GST की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15(3)(b)(ii) की शर्तों के अनुपालन का साक्ष्य प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिए गए थे।

2. क्षेत्रीय कार्यालयों में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु, बोर्ड, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 26 जून, 2024 के परिपत्र संख्या 212/6/2024-GST का, बोर्ड द्वारा प्रत्याहरण किया जाता है। अतः धारा 15(3)(b)(ii) की शर्तों के अनुपालन का साक्ष्य प्रदान करने के लिए उक्त परिपत्र के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।

3. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु को प्रचारित करने हेतु उपयुक्त व्यापार सूचनाएं जारी की जाएं।

4. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो कृपया बोर्ड की जानकारी में लाएं।

भवदीय,

(गौरव सिंह)
आयुक्त (जीएसटी)